अनुदान संख्या 31 - विदेश मंत्रालय
GRANT No. 31–MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*3,00*	..	*–3,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*3,00*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	5767,97,00		5807,98,00	5528,26,21	–279,71,79
पूरक	Supplementary	40,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					314,66,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	525,00,00		822,50,00	762,51,23	–59,98,77
पूरक	Supplementary	297,50,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					45,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *3.00 लाख रु.* का *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा जिसे अंतत: अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (27971.79 लाख रु.) मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 4001.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (31466.00 लाख रु.) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation of Rs 3.00 lakhs* remained wholly unutilised under three heads and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.27971.79 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.4001.00 lakhs obtained in March, 2010 and constituted 5 percent of the total sanctioned provision. Amount surrendered (Rs.31466.00 lakhs) also exceeded the overall savings.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2052'' सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat-General Services				
मू.	O.	21114.00	24742.00	24288.13	–453.87
पु.	R.	3628.00			
मुख्य शीर्ष ''2061'' विदेशी मामले	Major Head "2061" External Affairs				
मू.	O.	340782.00	324079.00	326955.54	+2876.54
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–16704.00			
मुख्य शीर्ष ''3605'' अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग	Major Head "3605" Technical and Economic Co-operation with Other Countries				
मू.	O.	214900.00	200510.00	201582.54	+1072.54
पू.	S.	4000.00			
पु.	R.	–18390.00			

(I) 8035.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 8000.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष ''2061'' - ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय'' के अंतर्गत दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू न किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.8035.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads; of these Rs.8000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2061" – "International Cooperation – South Asian University" – due to non commencement of construction of South Asian Univeristy.

(II) मुख्य शीर्ष ''3605'' - ''अन्य देशों के साथ सहयोग - अफगानिस्तान को सहायता'' के अंतर्गत 44205.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 3200.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 47405.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 25065.91 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित)

(II) Under Major Head "3605" – "Cooperation with Other Countries – Aid to Afghanistan" – the original provision of Rs.44205.00 lakhs was augmented to Rs.47405.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.3200.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.25065.91 lakhs

देश की सुरक्षा की स्थिति की वजह से शुरू की जाने वाली परियोजना के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और सामग्रियों की अधिप्राप्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2061'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''प्रशिक्षण - विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान'' - 190.69 लाख रु. की बचत (982.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशी राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''विशेष राजनयिक व्यय - विवेकाधीन व्यय'' - 5535.47 लाख रु. की बचत (117839.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यकलापों को यथा परिकल्पित रूप में निष्पादित न किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें - अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें'' - 198.14 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलन बैठकें और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित न किए जाने के कारण हुईं।

(घा) ''पासपोर्ट और उत्प्रवास - केंद्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवास संगठन'' - 1182.58 लाख रु. की बचत (37655.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक से पासपोर्ट आवेदनों के और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से स्कैनिंग परियोजना के बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ङ) ''मनोरंजन प्रभार - गण्यमान्य व्यक्तियों का मनोरंजन'' - 504.01 लाख रु. की बचत (3500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशी गण्यमान्य व्यक्तियों के कई दौरों को आस्थगित किए जाने और उनका पुनर्निर्धारण किए जाने के कारण हुई।

(चा) ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग'' -

(including supplementary grant) – due to requirement of less funds towards project being undertaken owing to prevailing security situation in the country and delay in procurement of materials.

(III) Under Major Head "2061" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Training – Foreign Service Training Institute" – saving of Rs.190.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.982.00 lakhs) was due to non conducting of training programme for foreign diplomats.

(B) "Special Diplomatic Expenditure - Discretionary Expenditure" – saving of Rs.5535.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.117839.00 lakhs) was due to non implementation of activities as envisaged.

(C) "International Conferences/Meetings – International Conferences/Meetings" – saving of Rs.198.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non organization of high level summit meetings and International conferences.

(D) "Passport and Emigration – Central Passport and Emigration Organisation" – saving of Rs.1182.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.37655.00 lakhs) was due to non receipt of bills for Passport applications from India Security Press Nasik and scanning project from National Informatics Centre.

(E) "Entertainment Charges – Entertainment of Dignitaries" – saving of Rs.504.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3500.00 lakhs) was due to deferment and re-scheduling of number of visits of foreign dignitaries.

(F) "International Cooperation" –

(क) ''अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन'' - 1161.69 लाख रु. की बचत (2148.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय और तकनीकी सहायता के लिए स्वैच्छिक निधि, विकास और मानवीय सहायता के लिए दक्षिण निधि को अंशदान जारी न किए जाने और डालर की विनिमय दर में परिवर्तन होने के कारण हुई।

(a) "Other International Organisation" – saving of Rs.1161.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2148.00 lakhs) was due to non-release of contribution to Voluntary Fund for Financial and Technical Assistance, South Fund for Development and humanitarian assistance and exchange rate variation of US dollar.

(ख) ''संयुक्त राष्ट्र संघ'' - 1403.45 लाख रु. की बचत (11859.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत के अंशदान के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(b) "United Nations Organisations" – saving of Rs.1403.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.11859.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards India's contribution to United Nations Organisations.

(ग) ''सार्क सचिवालय को अंशदान'' - 160.49 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों से सार्क सचिवालय और क्षेत्रीय केंद्रों को भारत का अंशदान जारी किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(c) "Contributions to SAARC Secretariat" – saving of Rs.160.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to delay in release of India's contribution towards SAARC Secretariat and regional Centres owing to administrative reasons.

(घ) ''नालन्दा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय'' - 4976.11 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नालन्दा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(d) "Nalanda International University" – saving of Rs.4976.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to non-commencement of construction of Nalanda International University.

(छा) ''अन्य व्यय'' -

(G) "Other Expenditure" –

(क) ''सीमाओं का अंकन'' - 137.10 लाख रु. की बचत (345.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीमा से संबंधित कार्य पूरा न होने के कारण हुई।

(a) "Demarcation of Boundaries" – saving of Rs.137.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.345.00 lakhs) was due to non-completion of boundary related work.

(ख) ''संस्थाओं को अनुदान'' - 2558.44 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 17561.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की सात सूत्री विस्तार योजना के कार्यान्वयन के लिए पहचान की गई परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण हुई।

(b) "Grants to Institutions" – saving of Rs.2558.44 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.17561.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to non completion of projects identified for implementation under 7-point expansion plan of Indian Council for Cultural Relations.

(ग) ''विशेष कार्यक्रम'' - 701.23 लाख रु. की बचत (2202.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ क्षेत्रीय मंच कार्यकलापों के भाग के रूप में कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब होने और ''मुस्लिम महिलाओं पर अनुसंधान अध्ययन'' नामक अनुसंधान अध्ययन शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(घ) ''मिशनों को विशेष अनुदान'' - 1037.63 लाख रु. की बचत (1447.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ''बाजार विस्तार कार्यकलापों'' को शुरू करने के लिए मिशनों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ङ) ''विदेश मंत्रालय के होस्टल और आवासीय परिसर'' - 168.74 लाख रु. की बचत (405.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सम्पत्ति कर विभाग और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से दावों/बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3605'' - ''अन्य देशों के साथ सहयोग'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''बांग्लादेश को सहायता'' - 663.21 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों से आयोजित परियोजनाएं कार्यान्वित न किए जाने और मेजबान सरकार से निवेश में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) ''नेपाल को सहायता'' - 7685.97 लाख रु. की बचत (23800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों से कार्यकलापों के मूर्तरूप न लेने और आयोजित परियोजनाएं कार्यान्वित न किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''श्रीलंका - अन्य सहायता कार्यक्रम'' - 2103.98 लाख रु. की बचत (9000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्याप्त सुरक्षा स्थिति की वजह से कार्यकलापों के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(c) "Special Programmes" – saving of Rs.701.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2202.00 lakhs) was due to delay in implementation of some project as a part of ASEAN regional forum activities and non-undertaking of research study "Research Study on Muslim Women".

(d) "Special Grants to Missions" – saving of Rs.1037.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1447.00 lakhs) was due to non-receipt of proposal from Missions to undertake "Market Expansion Activities".

(e) "MEA Hostels and Residential Complexes" – saving of Rs.168.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.405.00 lakhs) was due to non-receipt of claims/bills from Property Tax Department and Central Public Works Department.

(IV) Under Major Head "3605" – "Cooperation with Other Countries" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Aid to Bangladesh" – saving of Rs.663.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to non-implementation of projects planned owing to administrative reasons and delay in inputs from the host Government.

(B) "Aid to Nepal" – saving of Rs.7685.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.23800.00 lakhs) was due to non-materialization of activities owing to administrative reasons and non-implementation of projects planned.

(C) "Sri Lanka – Other Aid Programmes" – saving of Rs.2103.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9000.00 lakhs) was due to non-materialization of activities owing to prevailing security situation

(घा) ''मालदीव को सहायता'' - 408.19 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एटीटीओएल मीडिया निर्माण केंद्र परियोजना कार्यान्वित न किए जाने और मालदीवी रक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए रक्षा मंत्रालय से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ङ) ''बहुपक्षीय आर्थिक संबंध कार्यक्रम'' - 844.44 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाओं अर्थात दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ भारत सहकारी निधि, एमजीसी आईसीसीआर छात्रवृत्ति और बीआईएमएसटीईसी ऊर्जा केंद्र के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(चा) ''निवेश संवर्धन और प्रचार कार्यक्रम'' - 1570.66 लाख रु. की बचत (1640.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम्बोडिया, वियतनाम, श्रीलंका और मारिशस को उपलब्ध कराई गई ऋण व्यवस्था का कम उपयोग किए जाने की वजह से निर्यात आयात बैंक को ब्याज समकरण के लिए कम निधियां की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(छा) ''मध्य एशिया को सहायता'' - 4074.57 लाख रु. की बचत (4800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्राप्तकर्ता देशों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और उसे लागू किए जाने में विलंब होने और तजाकिस्तान में वार्जोब-I तथा किर्गिस्तान में पोटाओ संसाधन संयंत्र के लिए मैसर्स पीईसी के संबंध में एनएचपीसी से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(जा) ''लैटिन अमरीकी देशों को सहायता'' - 390.00 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों से कार्यकलापों के मूर्तरूप न लेने और आयोजित परियोजनाएं कार्यान्वित न किए जाने के कारण हुई।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (10310.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''3605'' - ''अन्य देशों के साथ सहयोग - भूटान को सहायता'' के अंतर्गत 4000.00 लाख रु. का पूरक

(D) "Aid to Maldives" – saving of Rs.408.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to non-implementation of ATTOL Media Production Centre Project and non- receipt of claims from Ministry of Defence for providing training to Maldivian Defence Personnel.

(E) "Multilateral Economic Relation Programme" – saving of Rs.844.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to requirement of less funds for some projects namely ASEAN India Cooperative Fund, MGC ICCR Scholarship and BIMSTEC Energy Centre.

(F) "Investment Promotion and Publicity Programme" – saving of Rs.1570.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1640.00 lakhs) was due to requirement of less funds for Interest Equalisation support to Export Import Bank owing to low utilization of line of credit extended to Cambodia, Vietnam, Sri Lanka and Mauritius.

(G) "Aid to Central Asia" – saving of Rs.4074.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4800.00 lakhs) was due to delay in signing and implementation of Memorandum of Understanding on the part of recipient countries and non-receipt of claims from NHPC for Varzob-I project at Tajikistan and M/s PEC for potao processing plant in Kyrgyzstan.

(H) "Aid to Latin American Countries" – saving of Rs.390.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non-materilisation of activities owing to administrative reasons and non-implementation of projects planned.

3.(I) The above savings were partly (Rs.10310.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.4000.00 lakhs under Major Head "3605" – "Cooperation

अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, अधिक व्यय 15071.73 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय - विदेश मंत्रालय'' - 3175.13 लाख रु. का अधिक व्यय (21113.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2061'' -

(क) ''दूतावास और मिशन - प्रबंधन और स्थापना'' - 12959.12 लाख रु. का अधिक व्यय (124632.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, संतान शिक्षा भत्ते, विदेश भत्ते में बढ़ोतरी होने और भारतीय रुपए का अवमूल्यन होने के कारण हुआ।

(ख) ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - राष्ट्रमंडल'' - 338.13 लाख रु. का अधिक व्यय (862.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रमंडल सचिवालय को अंशदान की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ग) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''अन्य स्कीमें'' - 239.61 लाख रु. का अधिक व्यय (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोलम्बिया विश्वविद्यालय में उनके भारत केंद्र के लिए प्रोफेसर जगदीश सरस्वती के नाम में दो नई अध्येतावृत्तियां शुरू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) ''विशेष शिष्टमंडल'' - 408.40 लाख रु. का अधिक व्यय (1730.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की

with Other Countries - Aid to Bhutan". Actual excess, however, was Rs.15071.73 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2052" – "Secretariat – Ministry of External Affairs" – excess of Rs.3175.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.21113.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of Sixth Central Pay Commissions Report.

(B) Major Head "2061" –

(a) "Embassies and Missions - Management and Establishment" – excess of Rs.12959.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.124632.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of 6th Central Pay Commission Report, hike in Children Education Allowance, Foreign Allowance and devaluation of Indian Rupee.

(b) "International Cooperation – Commonwealth" – excess of Rs.338.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.862.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for payment of contribution to Commonwealth Secretariat.

(c) "Other Expenditure" –

(i) "Other Schemes" – excess of Rs.239.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for instituting two new fellowships in the name of Prof.Jagdish Sharswati for their India Centre in Columbia Univeristy.

(ii) "Special Delegations" – excess of Rs.408.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1730.00 lakhs) was due to

तुलना में) राजनीतिक आवश्यकताओं से किए गए दौरों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(iii) ''हज पर व्यय'' - 172.45 लाख रु. का अधिक व्यय (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हज सद्भावना शिष्टमंडल और भारत से हजयात्रियों की सुविधा के लिए कर्मचारियों को तैनात किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3605'' - ''अन्य देशों के साथ सहयोग'' -

(क) ''म्यांमार को सहायता'' - 450.31 लाख रु. का अधिक व्यय (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) म्यांमार में चालू परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देयताओं को निपटाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) ''अन्य विकासशील देशों को सहायता'' - 3535.65 लाख रु. का अधिक व्यय (3655.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फिलीस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण को बजटीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ग) ''विपद राहत के लिए सहायता'' - 606.42 लाख रु. का अधिक व्यय (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्राकृतिक विपद प्रभावित हैती और चिली को सहायता उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घ) ''आईटीईसी कार्यक्रम'' - 2461.14 लाख रु. का अधिक व्यय (7000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय विशेषज्ञों को विदेश में तैनात किए जाने और प्रशिक्षणार्थियों के आवास प्रभारों में उर्ध्वमुखी संशोधन किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

requirement of additional funds for visits undertaken owing to political requirements

(iii) "Expenditure on Haj" – excess of Rs.172.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for Haj Goodwill Delegation and deputation of staff for facilitating pilgrims from India.

(C) Major Head "3605" – "Cooperation with Other Countries" –

(a) "Aid to Myanmar" – excess of Rs.450.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear committed payments for ongoing projects in Myanmar.

(b) "Aid to Other Developing Countries" – excess of Rs.3535.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3655.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for providing budgetary support to the Palestinian National Authority.

(c) "Aid for Disaster Relief" – excess of Rs.606.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for providing aid to Haiti and Chile affected by natural disasters.

(d) "ITEC Programme" – excess of Rs.2461.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for deputation of Indian experts abroad and upward revision of accommodation charges for trainees.

(ङ) ''सार्क कार्यक्रम'' - 343.03 लाख रु. का अधिक व्यय (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सार्क टेलीमेडिसिन परियोजना लागू किए जाने, वस्त्र और हस्तशिल्प संग्रहालय, सार्क की बैठकें और सम्मेलन आयोजित किए जाने तथा ट्रैक II आयोजनों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान जारी किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(च) ''एससीएएपी कार्यक्रम'' - 440.41 लाख रु. का अधिक व्यय (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न विकासशील देशों से प्रशिक्षण पा रहे भागीदारों के लिए तत्काल अदायगियों का निपटान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(छ) ''अफ्रीकी देशों को सहायता'' -2580.78 लाख रु. का अधिक व्यय (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पैन अफ्रीकी नेटवर्क परियोजना सहित परियोजनाएं लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (5998.77 लाख रु.) दिसम्बर, 2009 में प्राप्त किए गए 29750.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 20 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(e) "SAARC Programme" – excess of Rs.343.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of SAARC Telemedicine Project, SAARC Museum of Textile and Handicrafts, organizing SAARC meetings and conferences and release of grants to NGOs for Track II events.

(f) "SCAAP Programmes" – excess of Rs.440.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear urgent payments for participants undergoing training from various developing countries.

(g) "Aid to African Countries" – excess of Rs.2580.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of projects including PAN African Network Project.

4. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.5998.77 lakhs) constituted 20 percent of the supplementary grant of Rs.29750.00 lakhs obtained in December, 2009 and 7 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works	27500.00	26027.47	–1472.53

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	12500.00	8000.00	8318.76	+318.76
पु.	R.	-4500.00			
मुख्य शीर्ष "7605" विदेशी सरकारों को अग्रिम	Major Head "7605" Advances to Foreign Governments				
मू.	O.	12500.00	42250.00	41905.00	–345.00
पू.	S.	29750.00			

(I) मुख्य शीर्ष "4059" - "अन्य भवन - निर्माण - विदेशी मामले" के अंतर्गत 1472.53 लाख रु. की बचत (27500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थानीय सरकार से अनुमति मांगने में विलंब होने की वजह से रबात में चांसरी सम्पत्ति की खरीद के प्रस्ताव और भारत में विदेश मंत्रालय मुख्यालय और पासपोर्ट कार्यालयों में विभिन्न निर्माण/नवीकरण कार्यों संबंधी अदायगी को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4059" – "Other Buildings - Construction – External Affairs" – saving of Rs.1472.53 lakhs (against the sanctioned provision of 27500.00 lakhs) was due to non-finalization of proposal for purchase of Chancery property in Rabat owing to delay in obtaining permission from local government and payment for various construction/renovation works at MEA headquarters and passport offices in India.

(II) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - विदेशी मामले" - के अंतर्गत 4181.24 लाख रु. की बचत (12500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाओं के पूरा करने में विलंब होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings –Other Housing- External Affairs" – saving of Rs.4181.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12500.00 lakhs) was due to delay in completion of some projects.

(III) मुख्य शीर्ष "7605" - "मंगोलिया की सरकार को कर्ज - नए ऋण" के अंतर्गत 345.00 लाख रु. की बचत (12500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय रुपयों का अमरीकी डालर की तुलना में अधिमूल्यन होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "7605- "Loans to Government of Mangolia – New Credits" – saving of Rs.345.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12500.00 lakhs) was due to appreciation of Indian Rupees against US Dollars.